

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 2015

विषय :- खेल विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्रीडागनों, कमरों तथा तरणताल आदि के निःशुल्क आवंटन/आरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 126/बयालिस-2011-103/एस0पी0/73 टी0सी0-2, दिनांक 10 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या- 1990/बयालिस-2007-355/एस0पी0/79, दिनांक 09 जुलाई, 2007 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- शासनादेश संख्या- 126/बयालिस-2011-103/एस0पी0/73 टी0सी0-2, दिनांक 10 मार्च, 2011 द्वारा निःशुल्क आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करने के आदेश निर्गत किये गये थे किन्तु निःशुल्क आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को बहुतायत में प्राप्त हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि खेल विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्रीडागनों, कमरों तथा तरणताल आदि का निःशुल्क आरक्षण निम्न विशेष परिस्थितियों में निदेशक, खेल द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा :-

- (1)- शासकीय खेल आयोजन हेतु।
- (2)- मूक-बधिर/विकलांग खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं हेतु।
- (3)- शासन के खेल संघों द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय/अन्तरशाखा प्रतियोगिताओं हेतु।

उक्त के अतिरिक्त अन्य विशेष परिस्थितियों में शासन से पूर्ववत् अनुमति की आवश्यकता होगी।

3- शासनादेश संख्या- 1990/बयालिस-2007-355/एस0पी0/79, दिनांक 09 जुलाई, 2007 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।